



भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

वरिष्ठ प्रबंधक का कार्यालय, डाक वाहन सेवा, चेन्नई -600 006.

चेन्नई में 29.10.2026 को जारी अधिसूचना संख्या **MSE/B9-2/XVI/2022-2023**

तमिलनाडु परिमंडल में 'स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)' (सामान्य केंद्रीय सेवाएं, ग्रुप-सी, गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रिस्तरीय) के पद के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए वेतन मैट्रिक्स ₹19,900 – ₹63,200 + स्वीकार्य भत्ते (केंद्रीय 7 वें वेतन आयोग अनुसार वेतन स्तर 2) निर्धारित है।

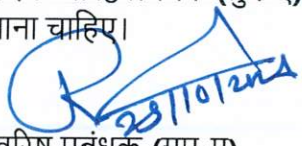
खाली पदों का विवरण

परिमंडल का नाम	रिक्ति की कुल संख्या	UR	SC	ST	OBC	EWS	Ex-SM
तमिलनाडु परिमंडल	24	13	03	-	07	01	*02

*पूर्व-सैनिक कोटे के लिए निर्धारित 02 रिक्तियों को आरक्षण नियमों के अनुसार क्षैतिज रूप से समायोजित किया जाएगा।

खाली पदों की संख्या, आरक्षण, पात्रता की शर्तें, आवेदन करने का तरीका, आवेदन का प्रारूप आदि के बारे में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.indiapost.gov.in और <https://tamilnadupost.nic.in> पर उपलब्ध है।

आवेदन मिलने की आखिरी तारीख 30.11.2026 है। आवेदन "वरिष्ठ प्रबंधक (ग्रुप-ए), डाक वाहन सेवा, No.37, ग्रीम्स रोड, चेन्नई - 600 006." पते पर भेजा जाना चाहिए।


वरिष्ठ प्रबंधक (ग्रुप-ए)
डाक वाहन सेवा,
चेन्नई -600 006.

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

वरिष्ठ प्रबंधक का कार्यालय, डाक वाहन सेवा, चेन्नई -600 006.

चेन्नई में 29.10.2026 को जारी अधिसूचना संख्या **MSE/B9-2/XVI/2022-2023**

1. तमिलनाडु परिमंडल में 'स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)' (सामान्य केंद्रीय सेवाएं, ग्रुप-सी, गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रिस्तरीय) के पद के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए वेतन मैट्रिक्स ₹19,900 – ₹63,200 + स्वीकार्या भत्ते (केंद्रीय 7 वें वेतन आयोग अनुसार वेतन स्तर 2) निर्धारित है।
2. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.11.2026 को 17:00 बजे या उससे पहले है।
3. खाली पदों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	मंडल का नाम	डिविज़न / यूनिट का नाम और उनका सामुदायिक विवरण									टिप्पणी
		क्रमांक	डिविज़न / यूनिट का नाम	कुल रिक्तियां	UR	SC	ST	OBC	EWS	ESM	
1	सेंट्रल रीजन	i	तिरुचिरापल्ली	01	01	-	-	-	-	-	-
		क	कुल रिक्तियां	01	01	-	-	-	-	-	
2	एम एम रीजन	i	एम एम एस, चेन्नई	15	07	02	-	05	01	02*	-
		ख	कुल रिक्तियां	15	07	02	-	05	01	02*	
3	सार्थन रीजन	i	एम एम एस, मदुरै	01	01	-	-	-	-	-	-
		ii	मंडल कार्यालय, मदुरै	01	01	-	-	-	-	-	
		ग	कुल रिक्तियां	02	02	-	-	-	-	-	
4	वेस्टर्न रीजन	i	सेलम वेस्ट	03	02	-	-	01	-	-	** MMS, कोयंबटूर में OBC की 01 (एक) बैकलॉग वैकेंसी
		ii	एम एम एस, कोयंबटूर	02+01**	01	01	-	01**	-	-	
		घ	कुल रिक्तियां	06	03	01	-	02	-	-	
5	कुल रिक्तियां (क + ख + ग + घ)			24	13	03	-	07	01	02*	-

* पूर्व-सैनिकों (Ex-SM) के लिए आरक्षित पद किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे और फिर चुने गए उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर उन्हें संबंधित श्रेणियों (जैसे UR/EWS/SC/ST/OBC) में हॉरिजॉन्टली एडजस्ट किया जाएगा; यानी, आरक्षण नियमों के अनुसार पूर्व-सैनिकों के लिए तय पद कुल रिक्तियों में ही शामिल होते हैं।

** 01 बैकलॉग रिक्तियां।

4. विभाग/इकाइयों में रिक्तियों की संख्या परिवर्तन के अधीन है और अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए अधिसूचना को संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के लिए वेतनमान ₹19,900 से ₹63,200 (केंद्रीय 7 वें वेतन आयोग अनुसार वेतन स्तर 2) + लागू भत्ते हैं।
6. प्रोबेशन की अवधि 02 वर्ष है।

7. पात्रता:

क) भारत के उम्मीदवारों में से सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा:

UR और EWS के लिए: 18 से 27 साल

SC और ST के लिए : 5 साल की छूट

SC और ST के लिए : 5 साल की छूट

OBC के लिए : 3 साल की छूट

केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार, 40 वर्ष तक की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए।

पूर्व सैनिकों के लिए, वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद अधिकतम 3 साल की छूट [SC और ST के लिए 08 (3+5) साल और OBC के लिए 06 (3+3) साल]।

आयु सीमा तय करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है (यानी) 30.11.2026

ख) सीधे भर्ती होने वालों के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं:

- हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- मोटर मैकेनिज़्म की जानकारी (उम्मीदवार को गाड़ी की छोटी-मोटी खराबी ठीक करने में सक्षम होना चाहिए)।
- कम से कम तीन साल तक हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव।
- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है।

ग) वांछित योग्यता: होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर के तौर पर तीन साल की सेवा।

8. चयन की विधि:

सिलेक्शन, परिशिष्ट-1 में दिए गए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के आधार पर किया जाएगा। चुने गए कैंडिडेट्स को मेरिट और उनकी पसंद के आधार पर, जहाँ भी वैकेंसी उपलब्ध होगी, वहाँ डिवीज़न/यूनिट अलॉट किए जाएंगे।

9. उम्मीदवारों के लिए निर्देश:

- उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन हिंदी, अंग्रेज़ी या तमिल भाषाओं में से किसी एक में पूरी तरह से भरना चाहिए, जिसमें कोई सुधार न हो और उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी हों।
- हाल की दो तस्वीरें साथ में लगानी होंगी; इनमें से एक हाल की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर को आवेदन-पत्र पर इसके लिए तय जगह पर चिपकाना होगा और उम्मीदवार को उस पर खुद के हस्ताक्षर (self-attestation) करने होंगे।
- उम्मीदवारों को 100 रुपये (केवल एक सौ रुपये) का आवेदन शुल्क ई-पेमेंट के ज़रिए (ई-बिलर का नाम – वरिष्ठ प्रबंधक, एम एम एस चेन्नई, CPMG तमिलनाडु सर्कल (ई-बिलर ID 1000099022)) भारत में किसी भी कंप्यूटराइज़्ड पोस्ट ऑफिस में चालान फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके 30.11.2026 (अंतिम तिथि) तक जमा करना होगा। हालाँकि, सभी महिला/SC/ST आवेदकों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। किसी अन्य तरीके से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ दिया गया चालान फ़ॉर्म इंडिया पोस्ट की वेबसाइट www.indiapost.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है और शुल्क किसी भी पोस्ट ऑफिस में ई-पेमेंट के ज़रिए जमा किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस चालान फ़ॉर्म की एक कॉपी वापस कर देगा और उम्मीदवार को सीपीएमजी तमिलनाडु सर्कल की कॉपी और उम्मीदवार की कॉपी मिल जाएगी। शुल्क जमा करते समय उम्मीदवार को (उम्मीदवार का नाम, पता और जमा की गई शुल्क की राशि, विवरण, भुगतान कार्यालय का नाम) दर्ज करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस से मिली ओरिजिनल रसीद को आवेदन फ़ॉर्म पर चिपकाना चाहिए, जबकि उम्मीदवार भविष्य के लिए अपनी कॉपी अपने पास रख सकता है।
- रिज़र्वेशन / कैटेगरी (UR / EWS / SC / ST / OBC (नॉन-क्रीमी लेयर)) चुननी होगी। तय फ़ॉर्मेट में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया सर्टिफ़िकेट साथ लगाना होगा। अगर कैटेगरी नहीं चुनी जाती है, तो उम्मीदवार को UR माना जाएगा।
- अगर 'पूर्व-सैनिक' (Ex-Servicemen) कैटेगरी चुनी जाती है, तो सर्विस और ट्रेड के सबूत की कॉपी साथ लगानी होगी; वरना उन्हें 'सामान्य' (General) कैटेगरी में माना जाएगा और उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

- (च) आवेदन के साथ उम्मीदवार द्वारा स्वयं सत्यापित निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी भेजी जानी चाहिए।
- आयु का प्रमाण
 - शैक्षिक योग्यता
 - भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी सामुदायिक प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न है)
 - EWS उम्मीदवारों को वर्ष 2025-2026 के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना चाहिए। (फॉर्मेट साथ में दिया गया है)।
 - LMV और HMTV के लिए पहली बार जारी होने की तारीख और एक्सपायरी (समाप्ति) की तारीख वाला वैध ड्राइविंग लाइसेंस (या) पूरी जानकारी वाला लाइसेंस का विवरण।
 - उस सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के गजेटेड ऑफिसर (जहाँ आवेदक काम कर रहा हो) या किसी रजिस्टर्ड फर्म/कंपनी/एजेंसी/संस्थान के हेड द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र (experience certificate) साथ में लगाना होगा। प्रमाण-पत्र में पूरा पता, दरवाजा नंबर, पिनकोड और इसे जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, पद और जारी करने की तारीख लिखी होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र में बताया गया अनुभव का समय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर का होना चाहिए। हल्के और भारी वाहनों के अनुभव की अवधि स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए, जैसे 'हल्के वाहन का अनुभव ____ (तारीख) से ____ (तारीख) तक' और 'भारी वाहन का अनुभव ____ (तारीख) से ____ (तारीख) तक'।
- (छ) सभी तरह से भरे हुए और तय फॉर्मेट वाले आवेदन को केवल स्पीड पोस्ट के ज़रिए 'वरिष्ठ प्रबंधक का कार्यालय, डाक वाहन सेवा, चेन्नई-600 006.' पते पर 30.11.2026 को शाम 5:00 बजे (1700 घंटे) या उससे पहले भेजा जाना चाहिए। किसी और तरीके से मिले आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- (ज) आखिरी तारीख के बाद और इस नोटिफिकेशन में बताई गई शर्तों का पालन किए बिना मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. इन कारणों से भी आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

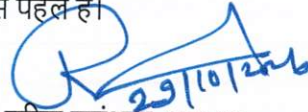
- आवेदन स्पीड पोस्ट से प्राप्त नहीं हुआ।
- बिना हस्ताक्षर / अधूरे / तय फॉर्मेट में न होने वाले आवेदन / तय तारीख के बाद मिले आवेदन / फटे-पुराने या क्षतिग्रस्त आवेदन / दस्तावेज़ आदि,
- बिना स्व-प्रमाणन वाली दो हालिया तस्वीरें।
- निर्देश 9(ग) के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किए बिना।
- आरक्षित पद (SC/ST/OBC नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध कम्युनिटी सर्टिफिकेट की कॉपी के बिना।
- अगर EWS के लिए आवेदन किया है, तो तय फॉर्मेट में न होने पर EWS सर्टिफिकेट अमान्य माना जाएगा।
- 7 (ख) में बताई गई ज़रूरी योग्यता न होना।
- सर्टिफिकेट/दस्तावेज़ों की सही स्व-सत्यापित प्रतियों के बिना।
- कम उम्र या ज़्यादा उम्र वाले उम्मीदवार।
- बिना डोर नंबर, पूरे पते और पिनकोड वाले और निर्देश 9 (च) (vi) के अनुसार न होने वाले, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अमान्य लाइसेंस (या) लाइसेंस (या) पूरी जानकारी के बिना लाइसेंस का विवरण।
- सेना में कोई डेज़िग्रेटेड ड्राइवर ट्रेड नहीं / कोई सर्विस सर्टिफिकेट नहीं / अनुचित ESM सर्टिफिकेट।

11. सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को ही हॉल परमिट जारी किए जाएंगे।

12. जो आवेदक योग्य नहीं हैं, उन्हें कोई सूचना या पत्र-व्यवहार नहीं भेजा जाएगा।

13. आवेदन के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजे जाने चाहिए।

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.11.2026 को 17:00 बजे या उससे पहले है।


वरिष्ठ प्रबंधक (ग्रुप-ए)
डाक वाहन सेवा,
चेन्नई -600 006.

स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) हेतु आवेदन पत्र - तमिलनाडु परिमंडल

1	उम्मीदवार का नाम (बड़े अक्षरों में / CAPITAL LETTERS में)							फोटो विधिवत स्व-सत्यापित
2	पिता का पूरा नाम							
3	उम्मीदवार की श्रेणी	UR	EWS	SC	ST	OBC	Ex-SM	
4	आवेदन शुल्क का विवरण	भुगतान का विवरण		क्या SC/ST/महिला होने के कारण शुल्क से छूट प्राप्त है?				
5	हॉल परमिट प्राप्त करने के लिए पता, पिन कोड सहित							
6	स्थायी आवासीय पता, पिन कोड सहित							
7	धर्म			राष्ट्रीयता				
8	जन्म तिथि (ईसवी संवत् के अनुसार)	DD		MM		YYYY		
9	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु	वर्ष _____ महीने _____ दिन _____						
10	यदि भूतपूर्व सैनिक (Ex-SM) हैं, तो व्यापार/पद एवं सेवा अवधि का विवरण दें	व्यापार/पद (Trade): _____ वर्ष _____ महीने _____ दिन _____						सेवा एवं व्यापार/पद के प्रमाण की प्रति संलग्न करना आवश्यक है
11	10वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता का विवरण	विद्यालय का नाम: _____ 10वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष: _____						
12	ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने का विवरण एवं वैधता (LMV एवं HMV का विवरण अलग-अलग दें)							
	LMV पहली बार जारी होने की तिथि		HMV पहली बार जारी होने की तिथि					
	LMV वैधता		HMV वैधता					
13	ड्राइविंग अनुभव का विवरण (LMV एवं HMV का विवरण अलग-अलग दें। प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)							
	HMV ड्राइविंग अनुभव फर्म / संस्था का नाम एवं पूरा पता, पिन कोड सहित:			LMV ड्राइविंग अनुभव फर्म / संस्था का नाम एवं पूरा पता, पिन कोड सहित:				
	1.			1.				
	2.			2.				
	HMV अनुभव की अवधि:			LMV अनुभव की अवधि:				
	1. दिनांक _____ से _____ तक			1. दिनांक _____ से _____ तक				
	2. दिनांक _____ से _____ तक			2. दिनांक _____ से _____ तक				
14	होम गार्ड / सिविल वॉलंटियर सेवा	दिनांक _____ से _____ तक						
15	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी							
दिनांक: _____ स्थान: _____								
उम्मीदवार के हस्ताक्षर: _____								

जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (SC/ST)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री*
ग्राम/कस्बा* जिला/प्रभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
..... के निवासी हैं तथा जाति/जनजाति* से संबंधित हैं,
जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:—

- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956
- @ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है।
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989
- @ संविधान (SC) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (ST) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ संविधान (ST) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

जारी रखने के लिए अगले पृष्ठ पर देखें — पृष्ठ 2

% 2. यह प्रावधान उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू होता है, जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित होकर आए हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती* जो श्री/श्रीमती/कुमारी
के पिता/माता हैं, ग्राम/कस्बा* जिला/प्रभाग*
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के निवासी हैं, के द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। उक्त व्यक्ति जाति/जनजाति*
से संबंधित हैं, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाण-पत्र द्वारा दिनांक
..... को जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनके/उनकी* परिवार का सामान्य निवास
ग्राम/कस्बा*, जिला/प्रभाग*, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
.....

हस्ताक्षर:

पदनाम:

(कार्यालय की मुहर सहित)

* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: **

स्थान:

दिनांक:

* जो शब्द लागू नहीं हैं, उन्हें कृपया काट दें।

@ कृपया संबंधित विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश (Presidential Order) का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू नहीं है, उसे हटा दें।

नोट:

यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है/करते हैं" (ordinarily resides) का वही अर्थ होगा जो
Representation of the People Act, 1950 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950) की धारा 20 में दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप-आयुक्त / अतिरिक्त उप-आयुक्त / उप-कलेक्टर / प्रथम
श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट / + उप-मंडल मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate) / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी
मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

+ (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से नीचे के पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए।)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) तहसीलदार के पद से नीचे के स्तर के न होने वाले राजस्व अधिकारी।

(iv) उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी (Sub-Divisional Officer), जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः
निवास करता है।

(v) प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (OBC)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

पुत्र/पुत्री* श्री

ग्राम/कस्बा*

जिला/प्रभाग*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के निवासी हैं तथा

..... समुदाय से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग (Backward Class) के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/68/93-BCC (C), दिनांक 10 सितंबर, 1993, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 186, दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/9/94-BCC, दिनांक 19-10-1994, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 163, दिनांक 20-10-1994 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/7/95-BCC, दिनांक 24-5-1995, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 88, दिनांक 25-5-1995 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/96/94-BCC, दिनांक 9 मार्च, 1996, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 60, दिनांक 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/44/96-BCC, दिनांक 6 दिसंबर, 1996, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 210, दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/99/94-BCC, दिनांक 11 दिसंबर, 1997, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 236, दिनांक 12 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/13/97-BCC, दिनांक 3 दिसंबर, 1997, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 239, दिनांक 17 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/68/98-BCC, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 241, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/88/98-BCC, दिनांक 6 दिसंबर, 1999, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 270, दिनांक 6 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/36/99-BCC, दिनांक 4 अप्रैल, 2000, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 71, दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/44/99-BCC, दिनांक 21 सितंबर, 2000, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 210, दिनांक 21 सितंबर, 2000 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12015/9/2000-BCC, दिनांक 6 सितंबर, 2001, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 246, दिनांक 6 सितंबर, 2001 में प्रकाशित हुआ।
- @ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/1/2001-BCC, दिनांक 19 जून, 2003, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-I, खंड-1, संख्या 151, दिनांक 20 जून, 2003 में प्रकाशित हुआ।

जारी रखने के लिए अगले पृष्ठ पर देखें — पृष्ठ 2

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 2011/4/2002-BCC, दिनांक 13 जनवरी, 2004, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-1, खंड-1, संख्या 9, दिनांक 13 जनवरी, 2004 में प्रकाशित हुआ।

@ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संकल्प संख्या 12011/14/2004-BCC, दिनांक 12 मार्च, 2007, जो भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-1, खंड-1, संख्या 67, दिनांक 12 मार्च, 2007 में प्रकाशित हुआ।

श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनके/उनकी* परिवार का सामान्य निवास
ग्राम/कस्बा*, जिला/प्रभाग*, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
..... में है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे* भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) के: O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) दिनांक 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) दिनांक 9 मार्च, 2004, तथा O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के अनुसार निर्धारित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर:

पदनाम:

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

स्थान:

दिनांक:

* जो शब्द लागू नहीं हैं, उन्हें कृपया काट दें।

@ जो लागू नहीं है, उसे काट दें।

नोट

यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है/करते हैं" (ordinarily resides) का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 20 में दिया गया है।
OBC प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची

- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप-आयुक्त / अतिरिक्त उप-आयुक्त / उप-कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट / + उप-मंडल मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate) / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।† (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं होना चाहिए।)
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) तहसीलदार के पद से नीचे के स्तर के न होने वाले राजस्व अधिकारी।
- (iv) उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी (Sub-Divisional Officer), जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
- (v) प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

नोट 1

OBC से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में लिखी गई जाति का नाम (उसकी वर्तनी सहित) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित जाति के नाम से बिल्कुल समान होना चाहिए। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाला प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट 2

उम्मीदवार का OBC दावा उस राज्य (या राज्य के उस भाग) के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जहाँ से उसके/उसकी पिता मूल रूप से संबंधित हैं। इसलिए, जो उम्मीदवार एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से दूसरे राज्य (या राज्य के किसी भाग) में स्थानांतरित हुआ है, उसे ऐसा OBC प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसके/उसकी पिता के उस OBC प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो, जो उस राज्य द्वारा जारी किया गया है जहाँ से उसके पिता मूल रूप से संबंधित हैं।

नोट 3

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा अपने सरलीकृत आवेदन-पत्र (Simplified Application Form) में पहले से दर्शाई गई समुदाय/जाति की स्थिति में सामान्यतः आयोग द्वारा कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

..... सरकार
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या: _____ दिनांक: _____
वर्ष _____ के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
के स्थायी निवासी _____, ग्राम/गली _____ डाकघर _____, जिला _____
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____, पिन कोड _____
हैं, जिनका सत्यापित फोटो नीचे दिया गया है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections – EWS) से संबंधित हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____ के लिए उनके/उनकी 'परिवार' की सकल वार्षिक आय* ₹8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उनकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है:

1. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
2. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।
3. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
4. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) — केंद्रीय सूची में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर: _____
नाम: _____
पदनाम: _____

आवेदक का हाल का पासपोर्ट
आकार का सत्यापित फोटो

टिप्पणियाँ

नोट 1: आय में सभी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार (Family)" में वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके/उसकी माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसके/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

नोट 3: EWS स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति रखने की सीमा की जाँच करते समय, एक परिवार द्वारा अलग-अलग स्थानों या अलग-अलग जगहों/शहरों में रखी गई संपत्तियों को एक साथ जोड़कर माना जाएगा।

स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन हेतु परीक्षा का पैटर्न एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा दो (2) चरणों में आयोजित की जाएगी:-

चरण-I (STAGE I): सामान्य ज्ञान, सरल अंकगणित, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, मोटर मैकेनिज्म, यातायात नियम, संकेत एवं विनियमों के ज्ञान की सैद्धांतिक परीक्षा (80 अंक)

चरण-II (STAGE II): मोटर मैकेनिज्म एवं ड्राइविंग के ज्ञान की व्यावहारिक परीक्षा (20 अंक)

परीक्षा का पैटर्न

I. चरण-I की परीक्षा: सैद्धांतिक परीक्षा (Theory Test)

क्र. सं.	विवरण	पेपर-I
1.	प्रतियोगी या अर्हताकारी	प्रतियोगी (Competitive)
2.	प्रश्नों का प्रकार	बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)
3.	अधिकतम अंक	80
4.	अवधि	90 मिनट
5.	प्रश्न-पत्र की भाषा	अंग्रेजी, हिंदी तथा संबंधित स्थानीय भाषा, जहाँ हिंदी स्थानीय भाषा नहीं है
6.	उत्तर-पत्र की भाषा	लागू नहीं, क्योंकि प्रश्न बहुविकल्पीय हैं
7.	न्यूनतम अर्हक अंक (सरकार की आरक्षण नीति के अधीन)	(a) SC/ST – प्रत्येक पेपर में 33% (b) OBC एवं EWS – प्रत्येक पेपर में 37% (c) अन्य – 40% [नोट: छूट प्राप्त (Relaxed) मानक केवल तभी लागू होगा जब भर्ती की संबंधित प्रक्रिया में उस श्रेणी के लिए आरक्षण उपलब्ध हो।]

II. परीक्षा का चरण-II: प्रायोगिक परीक्षा

क्र. सं.	विवरण	पेपर-I	पेपर-II
1.	प्रतियोगी या अर्हताकारी	प्रतियोगी	प्रतियोगी
2.	प्रश्नों का प्रकार	प्रायोगिक	प्रायोगिक
3.	अधिकतम अंक	10	20
4.	अवधि	20 मिनट	20 मिनट
5.	प्रश्न-पत्र की भाषा	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	उत्तर-पत्र की भाषा	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	न्यूनतम अर्हक अंक (सरकार की आरक्षण नीति के अधीन)	(a) SC/ST – प्रत्येक पेपर में 33% (b) OBC एवं EWS – प्रत्येक पेपर में 37% (c) अन्य – 40% [नोट: छूट प्राप्त (Relaxed) मानक केवल तभी लागू होगा जब भर्ती की संबंधित प्रक्रिया में उस श्रेणी के लिए आरक्षण उपलब्ध हो।]	

परीक्षा का पाठ्यक्रम

I. चरण-I (STAGE I)

सामान्य ज्ञान, सरल अंकगणित, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, मोटर मैकेनिज्म, यातायात नियम, संकेत एवं विनियमों के ज्ञान की सैद्धांतिक परीक्षा। (Theory) — समय: 90 मिनट कुल अंक: 80		
पेपर-I अधिकतम अंक: 80 अधिकतम समय: 90 मिनट	भाग-I — सामान्य ज्ञान (General Knowledge) <ul style="list-style-type: none"> ○ समसामयिक घटनाएँ (Current Events) ○ भारत में खेले जाने वाले खेल ○ भारत का इतिहास एवं संस्कृति ○ भारत का भूगोल ○ भारतीय अर्थव्यवस्था ○ सामान्य राजव्यवस्था (General Polity) ○ भारतीय संविधान ● भारत के प्रमुख व्यक्तित्व — “Who is Who of India” 	20 प्रश्न × 1 अंक = 20 अंक
	भाग-II — सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (General Intelligence & Reasoning) <ul style="list-style-type: none"> ○ विश्लेषणात्मक योग्यता (Analytical Aptitude) ○ पैटर्न को देखने और उनमें अंतर पहचानने की क्षमता ○ समानता/सादृश्य (Analogies) ○ समानताएँ एवं भिन्नताएँ ○ स्थान का दृश्यांकन (Space Visualization) ○ स्थानिक अभिविन्यास (Spatial Orientation) ● दृश्य स्मृति (Visual Memory) 	15 प्रश्न × 1 अंक = 15 अंक
	भाग-III — सरल अंकगणित (Simple Arithmetic) <ul style="list-style-type: none"> ○ संख्या पद्धति से संबंधित समस्याएँ ○ पूर्ण संख्याओं की गणना ○ दशमलव एवं भिन्न ○ संख्याओं के बीच संबंध ○ मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएँ ○ प्रतिशत ○ अनुपात एवं समानुपात ○ औसत ○ ब्याज ○ लाभ एवं हानि ○ छूट ○ समय एवं दूरी ○ अनुपात एवं समय ○ समय एवं कार्य 	15 प्रश्न × 1 अंक = 15 अंक

	भाग-IV — सड़क ज्ञान, वाहन रखरखाव, यातायात नियम/संकेत एवं पर्यावरण प्रदूषण	30 प्रश्न × 1 अंक = 30 अंक
	<ul style="list-style-type: none"> सड़क संबंधी ज्ञान (Traffic Rules/Signals, Road Marking आदि) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की समय-समय पर संशोधित विभिन्न धाराएँ वाहन के विभिन्न पुर्जों का ज्ञान मोटर वाहनों के चालकों के लाइसेंस संबंधी जानकारी मोटर वाहनों का पंजीकरण वाहनों का बीमा अपराध, दंड एवं प्रक्रिया टूलकिट से संबंधित जानकारी वाहन की सुरक्षा एवं रखरखाव दुर्घटना संबंधी दावे (Accidental Claims) GPS से संबंधित जानकारी यांत्रिक वाहनों (Mechanical Vehicles) एवं विद्युत वाहनों (Electric Vehicles) से संबंधित जानकारी 	

II. चरण-II (STAGE II)

मोटर मैकेनिज्म एवं ड्राइविंग का ज्ञान — व्यावहारिक परीक्षा		कुल समय: 40 मिनट कुल अंक: 20
पेपर-I अधिकतम अंक: 10 अधिकतम समय: 20 मिनट	<ul style="list-style-type: none"> खराबियों (Defects) की पहचान करना चालक द्वारा की जाने वाली छोटी-मोटी मरम्मत करना पहिए (Wheel) बदलना पहियों में सही तरीके से हवा भरना 	
पेपर-II अधिकतम अंक: 10 अधिकतम समय: 20 मिनट	भारी मोटर वाहन (Heavy Motor Vehicle) चलाना <ul style="list-style-type: none"> सिंक्रो स्पीड एवं गियर (Synchro Speed & Gear) सिंक्रो क्लच एवं एक्सेलेरेटर (Synchro Clutch & Accelerator) वाहन एवं स्टीयरिंग पर नियंत्रण वाहन को पीछे (Reverse) चलाना 	

चयन के मानदंड:-

- जो उम्मीदवार **चरण-I में अर्हता प्राप्त** करेंगे, वे **चरण-II की परीक्षा** में शामिल होने के पात्र होंगे।
- केवल वे उम्मीदवार जो **चरण-II के प्रत्येक पेपर में अर्हता प्राप्त** करेंगे, उन्हें अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए योग्य माना जाएगा।
- अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की **अंतिम मेरिट सूची** परीक्षा के दोनों चरणों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त **कुल अंकों** के आधार पर तैयार की जाएगी।
- उपरोक्त बिंदु (3) के अनुसार उम्मीदवारों को मेरिट के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, प्रत्येक श्रेणी में सफल घोषित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या **उस श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के बराबर** होगी।
- यदि अधिसूचित रिक्तियों में से कोई रिक्ति केवल इसलिए नहीं भर पाती है क्योंकि चयनित उम्मीदवार ने **कार्यभार ग्रहण नहीं किया (Non-joining)**, तो मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति केवल **चयनित उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव को अस्वीकार करने/नियुक्ति लेने से इनकार करने** के आधार पर होगी। इसके लिए **कोई प्रतीक्षा सूची (Wait List) या स्वीकृत पैनल (Approved Panel) बनाए नहीं रखा जाएगा।**

यदि अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करण के अनुवाद में कोई भिन्नता है, तो अंग्रेज़ी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।